



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

संभार प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची
दूरभाष - (0651) 2403852, 2403851, फैक्स - (0651) 2403850

अधिन सं० ०१

अधिसूचना

दिनांक 15.3.12

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-5, दिनांक 25.02.2012 के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 2, 3, 4 एवं 5 वर्षों के लिये सहमति आदेश दिये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

तदनुसार विभिन्न प्रकार की इकाइयों को यथा Grossly polluting Industry (Red Hazardous Category) के Fresh Consent to Operate के लिए 1 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 2 वर्ष, Red major polluting category Group-A and B के Fresh Consent to Operate के लिए 1 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 3 वर्ष, Orange Category Industry के Fresh Consent to Operate के लिए 2 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 4 वर्ष तथा Green category के Fresh Consent to Operate के लिए 5 वर्ष एवं Renewal of Consent to Operate के लिए 5 वर्षों का वर्षवार सहमति शुल्क क्रमशः वर्तमान दर के आधार पर जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा पूर्व की भाँति एक वर्ष के लिए ही सहमति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

अत्यन्त प्रदूषित इकाई, जिनके विरुद्ध आरोप एवं शिकायत प्राप्त होते रहते हैं उन्हें एक वर्ष के लिए ही सहमति दिया जायेगा।

यह आदेश दिनांक 25.02.2012 की तिथि से ही प्रभावी होगा एवं इस संबंध में पर्षद अधिसूचना संख्या-5 दिनांक 25.02.2012 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

राँची, दिनांक 15.3.12

ज्ञापांक... 896...

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार को उपर्युक्त अधिसूचना संख्या-5, दिनांक 22.02.2012 की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

राँची, दिनांक 15.3.12

अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक... 896...

प्रतिलिपि: सभी पर्या० अ०/पर्षद विश्लेषक/सभी सहा० पर्या० अ०/प्रशासी पदा०/सभी प्रशाखा पदा०/सभी क्षेत्र पदा०/सभी क० पर्या० अ०/सहायक एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

राँची, दिनांक 15.3.12

ज्ञापांक... 896...

प्रतिलिपि: अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कडरु रोड (आपोजिटव रेडिसन), मेन रोड, राँची/झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, कोकर, राँची/सिंहभूम चेम्बर ऑफ कामर्स, नियर भोलतारा बिल्डिंग, बिष्टुपुर, जमशेदपुर राँची को अधिसूचना संख्या-5, दिनांक 22.02.2012 की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव

राँची, दिनांक 15.3.12

अनु०-यथोक्त।

ज्ञापांक... 896...

प्रतिलिपि: मेसर्स हॉरिजन सॉफ्टवेयर, हरमू रोड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया उपर दशदिने गये अधिसूचना को पर्षद वेब साईट पर रखा जाय।

(संजय कुमार सिन्हा)

सदस्य सचिव